



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }
Form III { see Regulation 7 (1) D (d) }

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस
LICENCE FOR THE SERVICE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/एसक्यूएससी/एल -- 8000124
Licence No. CRO/SQSC/L-8000124

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby
grants/renews to
आफिस आफ द कमीशनर आफ कस्टमस,
एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमीशनरेट,
न्यू कस्टम हाउस,
नई दिल्ली - 110 037
Office of the Commissioner of Customs,
Air Cargo Export Commissionerate,
New Custom House,
New Delhi - 110 037

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या
सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी
संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या
सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, आई एस 15700:2005 के अनुरूप सेवा गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर
बताएं गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे

(here in after called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of **Service Quality Management Systems Certification** in respect of the products and/or services of processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Service Quality Management Systems in accordance with

IS 15700:2005


2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is **granted/renewed** subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस **31 मार्च 2015 से 30 मार्च 2018** तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा

This licence shall be valid from **31 March 2015 to 30 March 2018** and may be **renewed** as prescribed in the Regulations.

2015 के अप्रैल माह के नौवें दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
Signed, Sealed and dated this **Nineth** day of **April 2015**


भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS



लाइसेंस सं. म.क्षे.का/एसक्यूएससी /एल -8000124
Schedule to Licence No. CRO/ SQSC /L-8000124

जारी : Office of the Commissioner of Customs, Air Cargo Export Commissionerate, New
Custom House, New Delhi – 110 037

Issued to : आफिस आफ द कमीशनर आफ कस्टमस, एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमीशनरेट, न्यू कस्टम हाउस,
नई दिल्ली - 110 037

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद सेवाएं प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत नवीकृत किया गया
उप
Products Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renewed the licence for Service Quality
Management Systems Certification:

“Providing following services:-

- Acknowledgement of all written communication,
- Conveying decision on matters,
- Disposal of a refund claim,
- Release of non-required seized documents,
- Acknowledging all grievances,
- Clearing the goods, where the declaration relating to any consignment is complete and correct (Bond and Group VII Section) and
- Taking final decision on grievances.”

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS